

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

प्रतिवादीगण

भंवरीदेवी

बनाम

भगवानराम वगैरह

प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं. 83 / 2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
14.07.2020	<p>वादीनी की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने पेश किया है। वाद दर्ज रजिस्टर किया हो। प्रतिवादीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.08.2020 को पेश हो।</p> <p><i>AM</i></p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर</p> <p>बकार/पलकारान क आघवरा</p> <p>29/10/20 गोठसोन घणियाली की निदिग धी/अवध वकालत पर गये हुए हैं, इसलिए प्रत्येक उनके समक्ष दिनांक 29/10/20 वकालत करें</p> <p>29/10/20 :- वकील वादी उपर-प्रति ने 192 की ओर दे वकील श्री ज.र. & ए.र. गोदारा ने वकालतनाम पेश किया जो स्कामिं शेख डे कमन तहिल हुया स्कामिं है। निम्न वाले जबाब प्रपत्र/वाकफ किंगेड 16/12/20 के पर है।</p> <p><i>AM</i></p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर</p> <p>16/12/20 :- वकालत उपरगत वकालत ही पालन के निमित्त किंगेड 16/12/20 के पर है।</p> <p><i>AM</i></p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर</p>	
03/12/21	<p>वकालत उपर वकील वादी ने निवेदन किया वादीनी कौल हो चुकी है। उमडे कांमु वकील वादी डे लम्प में नहीं है। अला अखरत हाज में वकील वादी ही हिदापत देवी से इंगत है। तखरत हाज में वकील वादी डे हिदापत देवी से इंगत दिनांक पर पसनात डे जावजे लगवई मई) कोई पसनात अखरत वकील</p>	<p>31/12/21</p> <p>पृष्ठ-1</p> <p>पृष्ठ-2</p> <p>पृष्ठ-3</p> <p>पृष्ठ-4</p> <p>पृष्ठ-5</p> <p>पृष्ठ-6</p> <p>पृष्ठ-7</p> <p>पृष्ठ-8</p> <p>पृष्ठ-9</p> <p>पृष्ठ-10</p> <p>पृष्ठ-11</p> <p>पृष्ठ-12</p> <p>पृष्ठ-13</p> <p>पृष्ठ-14</p> <p>पृष्ठ-15</p> <p>पृष्ठ-16</p> <p>पृष्ठ-17</p> <p>पृष्ठ-18</p> <p>पृष्ठ-19</p> <p>पृष्ठ-20</p> <p>पृष्ठ-21</p> <p>पृष्ठ-22</p> <p>पृष्ठ-23</p> <p>पृष्ठ-24</p> <p>पृष्ठ-25</p> <p>पृष्ठ-26</p> <p>पृष्ठ-27</p> <p>पृष्ठ-28</p> <p>पृष्ठ-29</p> <p>पृष्ठ-30</p> <p>पृष्ठ-31</p> <p>पृष्ठ-32</p> <p>पृष्ठ-33</p> <p>पृष्ठ-34</p> <p>पृष्ठ-35</p> <p>पृष्ठ-36</p> <p>पृष्ठ-37</p> <p>पृष्ठ-38</p> <p>पृष्ठ-39</p> <p>पृष्ठ-40</p> <p>पृष्ठ-41</p> <p>पृष्ठ-42</p> <p>पृष्ठ-43</p> <p>पृष्ठ-44</p> <p>पृष्ठ-45</p> <p>पृष्ठ-46</p> <p>पृष्ठ-47</p> <p>पृष्ठ-48</p> <p>पृष्ठ-49</p> <p>पृष्ठ-50</p> <p>पृष्ठ-51</p> <p>पृष्ठ-52</p> <p>पृष्ठ-53</p> <p>पृष्ठ-54</p> <p>पृष्ठ-55</p> <p>पृष्ठ-56</p> <p>पृष्ठ-57</p> <p>पृष्ठ-58</p> <p>पृष्ठ-59</p> <p>पृष्ठ-60</p> <p>पृष्ठ-61</p> <p>पृष्ठ-62</p> <p>पृष्ठ-63</p> <p>पृष्ठ-64</p> <p>पृष्ठ-65</p> <p>पृष्ठ-66</p> <p>पृष्ठ-67</p> <p>पृष्ठ-68</p> <p>पृष्ठ-69</p> <p>पृष्ठ-70</p> <p>पृष्ठ-71</p> <p>पृष्ठ-72</p> <p>पृष्ठ-73</p> <p>पृष्ठ-74</p> <p>पृष्ठ-75</p> <p>पृष्ठ-76</p> <p>पृष्ठ-77</p> <p>पृष्ठ-78</p> <p>पृष्ठ-79</p> <p>पृष्ठ-80</p> <p>पृष्ठ-81</p> <p>पृष्ठ-82</p> <p>पृष्ठ-83</p> <p>पृष्ठ-84</p> <p>पृष्ठ-85</p> <p>पृष्ठ-86</p> <p>पृष्ठ-87</p> <p>पृष्ठ-88</p> <p>पृष्ठ-89</p> <p>पृष्ठ-90</p> <p>पृष्ठ-91</p> <p>पृष्ठ-92</p> <p>पृष्ठ-93</p> <p>पृष्ठ-94</p> <p>पृष्ठ-95</p> <p>पृष्ठ-96</p> <p>पृष्ठ-97</p> <p>पृष्ठ-98</p> <p>पृष्ठ-99</p> <p>पृष्ठ-100</p>

वादी पक्ष से हाजिर नही हुआ। उक्त
 तहसील वादी को वाद दियामत पेशी नही
 होने तथा वादीनी को ^{फौर} कानून उपाधिकृत
 नही जाने से खारिज किया जाता है।
 जिसल कपाने नम्बर से कम होकर
 शायिल रफ्तार है।

(Signature)
 सहायक कमिश्नर (एस.डी.ओ.)
 आपस. जयपुर